मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2017 (फाल्गुन 12, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 114 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 141 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में केबल स्टेब्रिज निर्माण में राशि का दुरूपयोग होने,
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इन्दौर सहित प्रदेश भर में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान न होने,
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के गांवों एवं शहरों की सड़कों के राजस्व अभिलेख में दर्ज न होने,
(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की दलौदा मंडी की मंदसौर मंडी से आस्तियां एवं दायित्व के बंटवारे होने,
(5) इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य की मकरोनियां में पं.दीनदयाल कॉलोनी को प्रदत्त राशि का उपयोग नहीं करने,
(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में कुछ किसानों को फसल बीमा का मुआवजा न मिलने,
(7) श्री के.डी.देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति दयनीय होने,
(8) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की प्रदेश में शासन द्वारा संधारित मंदिरों/देवस्थानों के पुजारियों के मानदेय में निरंतरता न होने,
(9) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की जिला छतरपुर की तहसील नौगांव स्थित उर्मिल बांध में रिसाव से समस्या उत्पन्न होने,
(10) श्री कैलाश चावला, सदस्य की नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामों, मजरों व टोलों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे में छूट जाने,
(11) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा की हनुमना तहसील अंतर्गत ग्राम वीरादेई टोला ढेकुआ में आकाशीय बिजली से मृत्युपरांत आर्थिक सहायता न मिलने,
(12) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजेन्द्र ग्राम के निवासियों को नजूल भूमि का मालिकाना हक न दिये जाने,
(13) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिंदवाड़ा के चौरई विधानसभा में ग्राम माचागोरा के हाई स्कूल भवन का निर्माण करने,
(14) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य की कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत प्रदाय में कटौती होने तथा
(15) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की प्रदेश में सहायक ग्रेड- 3 पद हेतु C.P.C.T. पास होना अनिवार्य किये जाने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) अतिथि शिक्षकों द्वारा हड़ताल किये जाने विषयक

श्री प्रताप सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षक हड़ताल पर बैठे हैं, शासन की ओर से आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है. इसमें सदन संवेदनशील हों और उनके भविष्य के प्रति शासन का कोई जवाब आए.

(2) किसानों के गेहूँ की खरीदी जल्दी प्रारंभ करने एवं मंडी में फसल कम भाव पर बिकने विषयक

डॉ. रामकिशोर दोगने एवं श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह में फसलों की खरीदी की तारीख शासन द्वारा तय की गई है जबकि मण्डी में फसलें आना प्रारम्भ हो गई है और किसानों को बहुत कम भावों में फसल बेचना पड रही है. इस पर निर्णय होना चाहिए.

(3) पेंच व्यपवर्तन योजना का कार्य डिजाइन और नक्शे के अनुसार न किये जाने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि पेंच व्यपवर्तन योजना से नहर का काम चल रहा है जिससे काफी जन आक्रोश है, क्योंकि जो डिजाइन और नक्शा पास हुआ था, उसको छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है. दिनांक 7 मार्च, 2017 को विधान सभा का घेराव करने के लिए मेरी विधान सभा क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं. अत: मेरा आग्रह है कि उसका तत्काल निराकरण कराएं.

(4) मध्यप्रदेश में अवैध उत्खनन को लेकर मारपीट की जाने विषयक

(क) सर्वश्री निशंक कुमार जैन एवं सचिन यादव, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि सरकार रेत माफियाओं पर कार्यवाही की बात करती है लेकिन कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में अपना भाषण दे रहे थे, उसी समय होशंगाबाद जिले में रेत माफियाओं द्वारा एक तहसीलदार के ऊपर डम्पर और ट्रक चढ़ाया गया और उसकी हत्या करने की कोशिश की गई.

(ख) श्री बाला बच्चन, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश में अवैध उत्खनन जोरों पर है. कल सदन में मुख्यमंत्री के भाषण के समय अवैध उत्खनन को लेकर तहसीलदार, पटवारी, राजस्व के अधिकारी और उसके बाद ड्रायवर के साथ मारपीट हुई है और उनके ऊपर डम्पर चढ़ा दिया गया. अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए. सरकार की तरफ से इस पर जवाब आना चाहिए और अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए.

(5) रीवा जिले के हनुमना ब्लॉक के कन्या छात्रावास में छात्राओं को प्रताड़ित किये जाने विषयक

श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि रीवा जिले में हनुमना ब्लॉक अन्तर्गत नगर पंचायत की परिधि में रमसा द्वारा संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कन्या छात्रावास में आवासीय छात्राएँ अध्ययनरत हैं. इस छात्रावास में कार्यरत अंशकालिक शिक्षिका छात्रावास अधीक्षिका की बेटी है जो बिना पढ़ाए वेतन ले रही है. परीक्षा का समय आ गया है. छात्राओं द्वारा अधीक्षिका से शिक्षिका की शिकायत करने पर उसने छात्राओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है. इससे छात्राएँ छात्रावास छोड़ रही हैं और वे परीक्षा से वंचित हो जाएंगी. क्षेत्र में आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है. अधीक्षिका को निलंबित कर शिक्षिका को हटाकर उसे प्राप्त वेतन की वसूली की जाए.

(6) परीक्षा देने गए छात्र के पिताजी की हृदयाघात से मृत्यु होने विषयक

श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नालचा गाँव में एक बालक अपने पिताजी के साथ परीक्षा देने के लिए गया था, उसके पिताजी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई. वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी या डॉक्टर उपस्थित नहीं थे.

(7) सातवें वेतनमान का लाभ पेंशनरों को भी दिये जाने विषयक

श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सातवें वेतनमान का लाभ पेंशनरों को भी दिया जाए.

(8) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या होने विषयक

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महिदपुर के नगर पालिका क्षेत्र में माँ क्षिप्रा का पानी जाता है, वहां पानी की समस्या है, वहां निर्मित स्टाप डेम खोल दिया जाए जिससे पानी महिदपुर तक पहुँच जाएगा.

(9) किसान की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को दी गई अनुदान की राशि बढ़ाये जाने विषयक

श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि गरदनखेड़ी निवासी, एक किसान श्री रतनलाल बग्गा जब अपनी फसल देखने गया तो उसकी वहीं मृत्यु हो गई. उसके परिवार को मात्र 20 हजार रुपये दिए गए हैं, उसकी राशि बढ़ाई जाए.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 25-म.प्र.वि.नि.आ.-2017, दिनांक 20 जनवरी, 2017 (अंतिम विनियम),

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे, वर्ष 2015-16 तथा

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2015-16

पटल पर रखे.

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें. तद्नुसार -

(1) सर्वश्री गिरीश गौतम, केदारनाथ शुक्ल, शंकरलाल तिवारी, सदस्यगण ने रीवा से हनुमना के मध्य कस्बों को फोरलेन से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री सुन्दरलाल तिवारी, सुखेन्द्र सिंह, के.पी. सिंह, सदस्यगण ने रीवा जिले में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अंतर सिंह आर्य, पशुपालन मंत्री एवं डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

6. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

7. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बड़ागांव में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग न होने ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास तथा डॉ. गौरीशंकर शेजवार वन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) सर्वश्री जितू पटवारी, सुदर्शन गुप्ता, सदस्यगण ने प्रदेश के निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस लिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

सभापति महोदय (श्री दुर्गालाल विजय) पीठासीन हुए.

8. स्वागत उल्लेख

सभापति महोदय एवं श्री उमाशंकर गुप्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा डॉ. सुधीर कुमार मिश्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं मुख्य नियंत्रक डी.आर.डी.ओ., रक्षा मंत्रालय का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(2) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(4) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (जिला-धार)
(5) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(6) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(7) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(8) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(9) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर नगर)
(10) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(11) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(12) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(13) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(14) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(15) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(16) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(17) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(18) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(19) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(20) श्री घनश्याम पिरोनियाँ (जिला-आगर)
(21) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(22) कुंवर हजारी लाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(23) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(24) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(25) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(26) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(27) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(28) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(29) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(30) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(31) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(32) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(33) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(34) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(35) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(36) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(37) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(38) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा)
(39) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)

10. शासकीय वक्तव्य

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने राज्य एवं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कर्मचारियों के संविलयन एवं कालातीत ऋणों की वसूली हेतु लागू एकमुश्त समझौता योजना के संबंध में वक्तव्य दिया.

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

11. वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2017 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.31 से 3.13 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

12. अध्यक्षीय घोषणा

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का शेष भाग सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2017 को लिये जाने विषयक

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि बजट जैसे विषय पर विपक्ष की उदासीनता दिखाई दे रही है मूल वक्ता ही उपस्थित नहीं है. डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने बताया कि यह तय हुआ है कि बजट पर सामान्य चर्चा का शेष भाग अगले दिन के लिये बढ़ा दिया गया है. आज केवल अशासकीय संकल्प लिये जायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का शेष भाग सोमवार, दिनांक 6 मार्च को लिया जायेगा. अब अशासकीय संकल्प लिये जायेंगे.

13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जनपद पंचायत / विकास खण्डों का परिसीमन किया जाए." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री वैलसिंह भूरिया
(2) श्री गिरीश गौतम
(3) श्री शंकरलाल तिवारी
(4) श्री कमलेश्वर पटेल
(5) श्री शैलेन्द्र पटेल

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

(2) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के समस्त पंचायत मुख्यालयों को उक्त पंचायतों के गांवों से मार्ग निर्माण कर जोड़ा जाए." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि कैंसर रोग को गंभीर बीमारी घोषित कर पीड़ितों के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की जाए." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) सुश्री उषा ठाकुर
(2) श्री गिरीश गौतम
(3) श्री सुखेन्द्र सिंह
(4) श्री के.के. श्रीवास्तव
(5) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(6) श्री शंकरलाल तिवारी
(6) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(6) श्री राजेन्द्र फूलचन्द्र वर्मा

श्री रूस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

अपराह्न 5.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2017 (15 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 3 मार्च, 2017